**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4827**

**दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

**.....**

**कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण**

**4827. श्री बसवराज बोम्मई:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपनी अंतिम रिपोर्ट/निर्णय दिसंबर, 2010 में और एक अन्य रिपोर्ट नवंबर, 2013 में प्रस्तुत कर दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि इस निर्णय में भविष्य में और संशोधन किया जा सकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बेसिन राज्यों के पास कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध समय केवल 35 वर्ष है और आईएसडब्ल्यू अधिनियम के तहत अधिसूचित किए बिना ही 12 वर्ष बीत चुके हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिसूचना में देरी के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क) से (घ):** कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (केडब्ल्यूडीटी-II) ने आईएसडब्ल्यूआरडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट और निर्णय दिनांक 30.12.2010 को केंद्र सरकार को सौंप दी है। इसके बाद, संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत न्यायाधिकरण से और स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायाधिकरण ने दिनांक 29.11.2013 को आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत अपनी आगे की रिपोर्ट भेजी, जिसमें पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जल आवंटन की सिफारिश की गई है। राज्यों के अनुरोध पर न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय में भविष्य में और संशोधन किया जा सकता है क्योंकि विगत में विभिन्न न्यायाधिकरणों ने भी निर्धारित समय बीत जाने के बाद उनके द्वारा किए गए आवंटन की आवधिक समीक्षा की सिफारिश की है।

इस बीच, पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य ने केडब्ल्यूडीटी-II के दिनांक 30.12.2010 के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16.09.2011 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि अगले आदेश तक, तीनों राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा दायर संदर्भ याचिकाओं पर न्यायाधिकरण द्वारा लिया जाने वाला निर्णय अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन के कारण, दिनांक 29.11.2013 के निर्णय को अधिसूचित नहीं किया जा सका।

इसके बाद, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 89 में निहित विचारार्थ विषय को शामिल करने के लिए, न्यायाधिकरण की अवधि को वर्ष दर वर्ष बढ़ाया गया है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिनांक 15.07.2025 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या 3221(ई) दिनांक 10.07.2025 के माध्यम से दिनांक 01.08.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II का कार्यकाल बढ़ा दिया है।

*****